न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 179/2020 निगरानी

1. सत्यनारायण पुत्र मिश्री लाल छीपा निवासी नेगडिया तहसील आसीन्द
2. कैलाश छीपा पुत्र मिश्री लाल छीपा निवासी नेगडिया तहसील आसीन्द

बनाम

1. पवन कुमार छीपा पुत्र जगन्नाथ छीपा निवासी नेगडिया तहसील आसीन्द
2. ग्राम पचांयत नेगडिया पं. सं. आसीन्द जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नेगडिया
3. ग्राम पंचायत नेगडिया पं. सं. आसीन्द जरिये ग्राम विकास अधिकारी / सचिव ग्राम पंचायत नेगडिया पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त करने ग्राम पंचायत नेगडिया द्वारा पारित पटटा संख्या 24 दिनांक 05.05.2017 पत्रावली संख्या 190/16–17 दिनांक 20.02.2017

उपस्थित –

1. श्री सुनील कुमार पारीक अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री रामस्वरूप जोशी अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 14.09.2021

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में गैर निगराकारान के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 एक पक्ष मे ग्राम नेगडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा मे निगराकारान एवं गैर निगराकार संख्या 01 व अन्य की शामलाती अविभाजित जायदाद का निगराकारान के हक हिस्से सहित जारी करवा लिया, जो विधि विरूद्व है। उक्त जायदाद का गैर निगराकार संख्या 01 को अकेले के नाम पर पट्टा जारी कराने का हक व अधिकार नही है और उक्त जायदाद मे निगराकारान का हक व हिस्सा निहित होकर निगराकार का निगरानी लाने का अधिकार है। गैर निगराकार संख्या 01 एक द्वारा जो पट्टा आवेदन पेश किया, जिसमे ग्राम पंचायत का नाम भी अंकित नही है व न ही दिनांक अंकित है व व मौका निरीक्षण प्रपत्र जारी किया है, जिसमे भी दिनांक अंकित नहीं है व न ही पत्रावली कंमाक अंकित है व साथ ही उक्त जायदाद जो कि तत्समय वार्ड नम्बर 02 में स्थित थी, लेकिन वार्ड नम्बर 02 के वार्डपंच के हस्ताक्षर भी नही है। पत्रावली पर जो आपत्ति आमंत्रित करना बताया है, जिसमे भी पत्रावली कंमाक व दिनांक अंकित नहीं है व न ही नक्शा आबादी भूमि पुश्तैनी मकान का बनाया है, जिसमे भी दिनांक व पत्रावली कंमाक नहीं है, व न ही सचिव के

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

हस्ताक्षर है। भाईबहन का सहमति एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र पेश है, जिसमे जगन्नाथ नाम लिखा है, जो गैर निगराकार संख्या 01 का पिता है, जिसे भी भाई दर्शा रखा है व किसी भी भाई बहिन के हस्ताक्षर नहीं है। मामले मे पडौसीयो के शपथपत्र गोपाल लाल नट व रामचन्द्र पुत्र श्री सूरजमल खारोल के पेश है, जबकि जो पट्टा जारी किया गया है, जिसमे उक्त पडौसी अंकित नही है व न ही उक्त व्यक्ति पडौसी है। गैर निगराकारान द्वारा आपस मे मिलीभगती कर एक ही दिन में उक्त पत्रावली तैयार कर तथाकथित पट्टा जारी किया गया है। उक्त पत्रावली कायम की गई, है उसकी आदेशिका साईकिलो स्टाईल और साईकिलो स्टाईल में केवल नाम भरे गये है व ऐसी आदेशिकाओ मे पीठासीन अधिकारी के विवेक का प्रयोग नहीं किया गया होता है। जिस कारण उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। उक्त पट्टे की मिसल की आदेशिका देखने से प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि उक्त पट्टे जारी करने से पूर्व न तो किसी प्रकार की आपत्ति आमंत्रित की गयी व न ही मौका निरीक्षण किया गया व नही पंचायत राज नियमों की पालना की गयी आपसी मिलाभगती से एक ही दिन मे गलत तौर पर पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष मे पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 142 से 158 के प्रावधानों की पालना करनी चाहिए थी, जो नहीं कर उक्त पट्टा जारी किया है, जो विधि विरूद्व होने निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने नियम 147–148 की पालना भी विधिवत नहीं की, न ही कोई ग्राम पंचायत नेगडिया मे पट्टेशुदा भूमि के सूचना बस स्टेण्ड या सहज दृश्य स्थान पर लगवायी गयी व न ही दो प्रतिष्ठित व्यक्तियो के उसे ऐसे लगाये जाने क प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करवाये गये, मात्र गैर निगराकार संख्या 01 ने गैर निगराकार संख्या 02 एंव 03 से मिलाभगती कर गैर निगराकार संख्या 02 एव 03 ने विधि विरूद्व पट्टा जारी किया गया है, जो काबिल अपास्तगी के है। गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा उक्त अवैध फर्जी पट्टे की आड़ में निगराकार को मौके से जबरन बेदखल करने व जबरन मौके पर अवैध निर्माण करने का असफल प्रयास किया, जिस पर सूचना के अधिकार के तहत नकले हेतु दिनांक 31/07/2020 को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन कर प्राप्त की, तब निगराकार को उक्त अवैध पट्टे की प्रथम बार जानकारी हुई है व जानकारी की दिनांक से निगरानी अन्दर अवधि पेश है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर, गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष मे जारी पत्रावली संख्या 190/16–17 दिनांक 20/02/2017 के जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 05/05/2017 को निरस्त फरमाया जावें।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय मे दिनांक 30.09.2020 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निगराकार अधिवक्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों दोहराते हुये निवेदन किया कि गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 एक पक्ष मे ग्राम नेगडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा मे निगराकारान एवं गैर निगराकार संख्या 01 व अन्य की शामलाती अविभाजित जायदाद का निगराकारान के हक हिस्से सहित जारी करवा लिया, जो विधि विरूद्व है। उक्त जायदाद का गैर निगराकार संख्या 01 को अकेले के नाम पर पट्टा जारी कराने का हक व अधिकार नही है। गैर निगराकार संख्या 01 एक द्वारा जो पट्टा आवेदन पेश किया, जिसमे ग्राम पंचायत का नाम भी अंकित नही है व न ही दिनांक अंकित है, जो मौका निरीक्षण प्रपत्र जारी किया है, उसमें भी दिनांक अंकित नहीं है व न ही पत्रावली कंमाक अंकित है व साथ ही उक्त जायदाद जो कि तत्समय वार्ड नम्बर 02 में स्थित थी, लेकिन वार्ड नम्बर 02 के वार्डपंच के हस्ताक्षर भी नही है। पत्रावली पर जो आपत्ति आमंत्रित करना बताया है, जिसमे भी पत्रावली कंमाक व दिनांक अंकित नही है व न ही नक्शा आबादी भूमि पुश्तैनी मकान का बनाया है, जिसमे भी दिनांक व पत्रावली कंमाक नहीं है, व न ही सचिव के हस्ताक्षर है। भाईबहन का सहमति एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र पेश है, जिसमे जगन्नाथ नाम लिखा है, जो गैर निगराकार संख्या 01 का पिता है, जिसे भी भाई दर्शा रखा है व किसी भी भाई बहिन के हस्ताक्षर नहीं है। मामले मे पडौसीयो के शपथपत्र गोपाल लाल नट व रामचन्द्र पुत्र श्री सूरजमल खारोल के पेश है, जबकि जो पट्टा जारी किया गया है, जिसमे उक्त पडौसी अंकित नही है व न ही उक्त व्यक्ति पडौसी है। गैर निगराकारान द्वारा आपस मे मिलीभगती कर एक ही दिन में उक्त पत्रावली तैयार कर तथाकथित पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे की मिसल की आदेशिका देखने से प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि उक्त पट्टे जारी करने से पूर्व न तो किसी प्रकार की आपत्ति आमंत्रित की गयी व न ही मौका निरीक्षण किया गया व नही पंचायत राज नियमों की पालना की गयी। गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष मे पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 142 से 158 के प्रावधानों की पालना करनी चाहिए थी, जो नहीं कर उक्त पट्टा जारी किया है, जो विधि विरूद्व होने निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने नियम 147–148 की पालना भी विधिवत नहीं की, न ही कोई ग्राम पंचायत नेगडिया मे पट्टेशुदा भूमि के सूचना बस स्टेण्ड या सहज दृश्य स्थान पर लगवायी गयी व न ही दो प्रतिष्ठित व्यक्तियो के उसे ऐसे लगाये जाने क प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करवाये गये। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर, गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष मे जारी पत्रावली संख्या 190/16–17 दिनांक 20/02/2017 के जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 05/05/2017 को निरस्त फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि ग्राम पंचायत नेगडिया द्वारा मिसल 190/16–17

अति. जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

कायम कर राजस्थान पचांयत राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत प्रार्थी द्वारा स्वयं की पुश्तैनी मकान का पटटा बनाने के लिए आवेदन पेश किये जाने पर आवेदन शुल्क, मौका नक्शा व स्थल निरीक्षण के कुल 120/– रूपये की रसीद संख्या 8510 दिनांक 20.02.2017 से जमा किये। तीन वार्ड पंचो द्वारा नियम 146 के तहत आबादी भूमि में निर्मित पुश्तैनी मकान का मौका निरीक्षण किया गया। ग्राम पंचायत दिनांक 5.4.2017 को नियम 148 के तहत आपत्ति पत्र जारी किया गया। एक भी आपत्ति प्राप्त नही होने पर नियम 149 के तहत आपत्तियों का निस्तारण बकाया नही होने पर पत्रावली निर्णय हेतु पेश की गयी। ग्राम पंचायत नेगडिया ने राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत आवेदनकर्ता को पुश्तैनी मकान का विनियमितिकरण कर पटटा राशि 200/– रूपये पंचायत कोष में जमा कराने हेतु आदेशित किया गया। जिस पर आवेदनकर्ता ने रसीद कमांक 198 दिनांक 5.5.2017 से ग्राम पंचायत नेगडिया में 200/–रूपये जमा कराये। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत नेगडिया की मिशल संख्या 190/16–17 के परीक्षण अनुसार गैर निगराकार संख्या 01 को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत पटटा जारी किये जाने में ग्राम पचांयत नेगडिया द्वारा नियम 146 से 149 की पालना की जाना प्रतीत होती हैं। निगराकार ने अपनी निगरानी में अंकित किया कि उक्त पटटेशुदा भूखण्ड निगराकार व गैर निगराकार संख्या 01 की संयुक्त शामलाती जायदाद हैं, किन्तु निगराकार ने पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे प्रतीत होता हो कि उक्त पटटेशुदा जायदाद निगराकार की संयुक्त शामलाती में हैं। निगराकार ने उक्त पटटेशुदा जायदाद पर स्वयं के कब्जे होने संबंधी भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में स्वीकार योग्य नही ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत सिद्ध नहीं होने से एवं पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में निगराकार की निगरानी अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत नेगडिया पंचायत समिति आसीन्द को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा